

25.05.18

वकील अपीलान्त या स्वयं अपीलान्त कोई
 उपस्थित नहीं है। अपील-पूर्वपेशी पर भी
 उपस्थित नहीं आया। अपीलान्त को बार
 बार आवाजे विलाई गई। अपीलान्त की
 ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः
 अपील अदम हाजरी व अदम धरवी में
 खारिज की जाती है। पत्रावली के सल
 शुमार लेकर बाद वकालत जाता जाहिर
 दाखल हो।

संभागीय आयुक्त
 भारतपुर संभाग, भारतपुर